169

159

न्यायालय उपजिलाधिकारी उरई जालौन

वाद सं0 13/06-07

अंतर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं
मौजा उरई ग्रामीण तहसील उरई
जिला जालौन

प्रतिलिपि

ज्योति अग्रवाल बनाम सरकार

निर्णय

उपर्युक्त वाद श्रीमती ज्योति अग्रवाल पत्नी श्री राकेश निवासी मातापुरा उरई आदि द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आराजी नं0 368 रकबा 4.0430हेक्टेयर स्थित मौजा उरई ग्रामीण को आबादी घोषित करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र ग्रामीण उरई की खतौनी वर्ष 1414फ0 लगायत 1419 फ0 की नकल प्रति एवं नक्शे की छाया प्रति साथ में संलग्न की है। खसरा की नकल संलग्न नहीं की है।

वाद पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार उरई से जाँच करायी गई। नायब तहसीलदार उरई ने अपनी जाँच आख्या दिनाँक 26-6-2007 जो तहसीलदार उरई द्वारा दिनाँक 7-7-2007 को अग्रसारित की है। उक्त आख्या में उल्लेख किया कि आराजी नं0 368 रकबा 4.0430हे0 प्रार्थीगण श्रीमती ज्योति पत्नी राकेश निवासी मातापुरा उरई का रकबा 6.56एकड़ है। व श्रीमती रामकुमारी पत्नी सन्तोष कुमार व कुलदीप पुत्र सन्तोष कुमार का रकबा 2.00एकड़ है। तथा श्रीमती रामकुमारी पत्नी सन्तोष कुमार व श्रीमती ज्योति पत्नी राकेश का रकबा 1.43एकड़ है। सभी का बैनामा द्वारा प्रथक-प्रथक रकबा है। सभी पारिवारिक जन है। आराजी नं0 368 रकबा 4.0430हे0 स्थित मौजा उरई ग्रामीण तहसील उरई में कोंच उरई सड़क पर कुमारिव दक्षिण नहर के किनारे मड़ोरा मन्दिर के पीछे रोड से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगणों द्वारा यह रकबा माह अप्रैल 2007 में क्रय किया गया है। क्रय करने से पूर्व इसमें खेती होती रही है। कृषि में ही बैनामा कराया गया है। वर्तमान में इस भूखण्ड के आस-पास दूर दराज तक कोई आबादी नहीं है। आस पास के नम्बरानों में खेती हो रही है। किन्तु वर्तमान में इस भूखण्ड पर बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर बना, ईंट गुम्मा आदि भारी मात्रा में रखे हुये है। निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि इस भूखण्ड पर डिग्री कालेज व खेल का मैदान का निर्माण प्रस्तावित है। इस भूखण्ड में वर्तमान में खेती का कार्य बन्द कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में भूमि का उपयोग वर्तमान में गैर कृषि होने के पर्याप्त कारण प्रतीत होते है। जाँच आख्या विचारार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

मैंने वादिनी श्रीमती ज्योति अग्रवाल को सुना। एवं पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार की आख्या दिनाँक26-6-07 जो तहसीलदार उरई द्वारा दिनाँक7-7-2007 का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार ने निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्रस्तुत की है। जिसमें उल्लेख किया है कि वर्तमान में इस भूखण्ड के आस पास दूर दराज तक कोई आबादी नहीं है। आस-पास के नम्बरानों में खेती हो रही है। लेकिन वर्तमान में इस भूखण्ड पर बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर बना कर ईंट गुम्मा आदि भारी मात्रा में रखे हुये है। निर्माण, प्रारम्भ कर दिया गया है। इस भूखण्ड पर डिग्री कालेज व खेल का मैदान का निर्माण प्रस्तावित है। इस भूखण्ड में वर्तमान में खेती का कार्य बन्द है। निर्धारित प्रारूप पर नायब तहसीलदार उरई ने यह टिप्पणी भी अंकित की है कि निर्माण प्रस्तावित है कार्य चल रहा है डिग्री कालेज व खेल का मैदान प्रस्तावित है। उपरोक्त के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान में विवादित भूखण्ड पर खेती नहीं हो रही है। नायब तहसीलदार उरई की

शकुन्तला
Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

आख्या दिनाँक 26-6-2007 जो तहसीलदार उरई द्वारा दिनाँक 07-07-2007 को अग्रसारित की गई है से सहमत होते हुये उ०प्र० ... भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत गाटा सं० 368 रकबा 4.043 हेक्टेयर भूमि गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

## आदेश

मौजा उरई ग्रामीण की खतौनी सन 1414-1419 खाता संख्या 442 की गाटा संख्या 368 रकबा 4.043 हेक्टयर भूमि भूराजस्व 66=77 रुपया को ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित की जाती है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति जिला निबंधक के मार्फत उप निबन्धक उरई को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनाँक 13-8-2007

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी, उरई

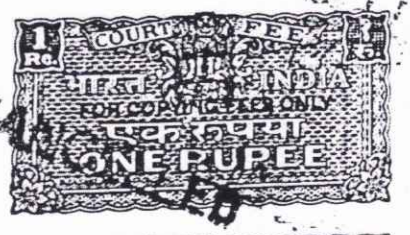

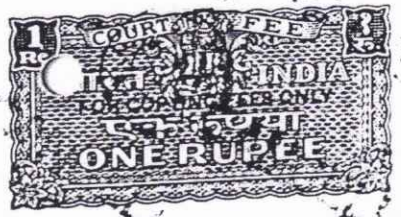

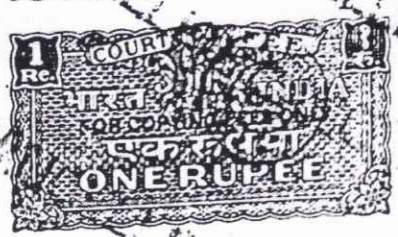

प्रार्थना पत्र संख्या 208
तारीख 14/8/07
नाम रामकुमार अग्रवाल
नकल ...
... 100
तारीख ... 20/08/07
तारीख ... 20/08/07

मुकाबलाकार ...

प्रमाणित प्रतिलिपि
20/08/07
प्रतिलिपिकार (मोहर)
उप जिलाधिकारी, उरई

सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय
उरई (जालौन)

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy